छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

परिपत्र

क्रमांक 02

दिनांक 18/01/2016

विषयः– मण्डल द्वारा भविष्य में क्रियान्वित किये जाने वाले योजनाओं में ठेकेदारों द्वारा यदि बाजार दर से बहुत कम निविदा दर दी जाती है तो अतिरिक्त परफार्मेस सुरक्षा राशि लिये जाने के संबंध में।

---00---

मण्डल के 49वाँ सम्मिलन दिनांक 11.12.2015 के पद संख्या क्रमांक–29 में पारित संकल्प क्रमांक–1370–29/49/12/2015 में मण्डल द्वारा दीर्घ–विचारोपरांत सर्वसम्मिति से लिये गये निर्णय अनुसार समरूपता एवं पारदर्शिता बनाये रखने हेतु मण्डल निविदाओं हेतु यह प्रावधानित किया जाता है कि मण्डल द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में एस.ओ.आर. से 10% तक कम दर प्राप्त होने पर 5%, 10 से अधिक तथा 20% तक कम दर प्राप्त होने पर 10% एवं 20% से ऊपर कम दर प्राप्त होने पर 20% (अनुबंध राशि का) निविदकार को अतिरिक्त परर्फामेंस सुरक्षा राशि जमा करना होगा। यह Additional Perfomance Security अनुबंध पूर्व कार्यपालन अभियंता के नाम देय होगी, जो पूर्ण एफ.डी.आर. के रूप में या 50% एफ.डी.आर. एवं 50% बैंक गारंटी के रूप में जमा करायी जावेगी, जो कि सामान्य सुरक्षा निधि के साथ कार्य पूर्णता पश्चात् वापस किया जा सकेगा। ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में सफल नहीं होता अथवा यदि कार्य अधूरा छोड़ दिया जाता है तो यह अतिरक्त परफार्मेस सुरक्षा राशि मण्डल द्वारा राजसात कर अनुबंध की कंडिका–3 के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। ठेकेदार द्वारा यदि अतिरिक्त परर्फामेंस सुरक्षा जमा नहीं किया जाता है तो जमा धरोहर राशि राजसात कर निविदा निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जावेगा।

परिपत्र क्र. 01 दिनांक 11.01.12 इस परिपत्र के प्रभावशील होने उपरांत तुरंत प्रभाव से शिथिल माना जावे।

सभी संभागीय कार्यपालन अभियंता उक्त का परिपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(मण्डल के आदेशानुसार)

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

E:\Circullar.doc

क्रमांक/ 181 /आ.आ./मुख्या./निविदा/101-2011, रायपुर दिनांक 18/01/2015

प्रतिलिपि :-

1- स्टॉफ आफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।

2- निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।

3- मंडल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।

4- अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।

5- उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर/ वृत्त-रायपुर/ दुर्ग/बिलासपुर।

6- मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।

7- प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।

8- लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।

9- संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।

10- कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, मुख्यालय रायपुर/ संभाग-1/2/3/4 रायपुर/ राजधानी परियोजना संभाग-।/।। नया रायपुर/ विद्युत संभाग क्र-1,2,3/ संभाग- दुर्ग/ परि. संभाग दुर्ग/ बिलासपुर/ कोरबा/ राजनांदगांव/ रायगढ़/ जगदलपुर/ अंबिकापुर/ कोण्डागांव।

11- गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

E:\Circullar.doc